बिहार सरकार

<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>

पत्रांक प्र0–10–विविध–05/2020 4808 खाद्य, पटना, दिनांक 18.12.2020

प्रेषक,

विनय कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषयः– खरीफ विपणन मौसम 2020–21 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति के लिए किसानों के चयन की प्रक्रिया सरलीकृत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 10.12.2020 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार खरीफ विपणन मौसम, 2020–21 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति के लिए किसानों के चयन हेतु सरलीकृत प्रक्रिया लागू की गयी है, जिसकी मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार है :–

1. किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री के लिए कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत निबंधन संख्या के आधार पर सहकारिता विभाग के वेबसाईट www.epacs.bih.nic.in पर अपने धान की उपज, भूमि तथा बैंक खाता संबंधी सूचनाएँ अंकित करनी होगी। ऐसा करते समय किसानों को किसी प्रकार के प्रमाण–पत्र समर्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी और उनके आधार संख्या का सत्यापन ऑनलाईन पद्धति से स्वतः कर लिया जायेगा।
2. तत्पश्चात किसानों के द्वारा OTP के माध्यम से दर्ज सूचनाओं का सत्यापन करने के पश्चात वे सम्बद्ध पैक्स/व्यापार मंडल पर अधिकतम सीमा तक धान की बिक्री न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर सकेंगे और 48 घंटे के भीतर उनके बैंक खाते में सीधे राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।
3. गैर–रैयत किसानों द्वारा सूचनाएँ दर्ज करने के पश्चात पूर्व विहित प्रपत्र में स्व–घोषणा पत्र स्वतः सृजित होगें, जिसे डाउनलोड कर किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य के माध्यम से पूर्व की तरह सत्यापन किया जायेगा।
4. किसानों द्वारा सहकारिता विभाग के वेबसाईट पर सूचनाएँ दर्ज करने और OTP के माध्यम से सत्यापन के पश्चात उक्त सूचनाएँ प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के Login पर उपलब्ध होंगी और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात ऑन–लाईन रूप से ये सूचनाएँ पैक्स/व्यापार मंडल तक पहुँच जायेगी।
5. प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार अथवा संदेह/आरोप की स्थिति में संबंधित किसानों के संबंध में आवश्यक जाँच की जायेगी और तदनुसार धान अधिप्राप्ति का अनुमोदन किया जायेगा।

तद्नुसार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 4442 दिनांक 23.11.2020 के द्वारा निर्गत कार्य योजना एवं मार्ग निदेश की कंडिका 2 की बिन्दु संख्या 8, 9, 11 एवं 12 तथा 3(II) की प्रथम कंडिका की बिन्दु संख्या 2, 3(V) की बिन्दु संख्या 1, 3 और 5 एवं कंडिका 4(IV) की बिन्दु संख्या 4 इस हद तक संशोधित समझे जाएँगें। अतः अनुरोध है कि खरीफ विपणन मौसम, 2020–21 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति के लिए किसानों के चयन की प्रक्रिया सरलीकृत करने हेतु दिए गए उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

इस पत्र पर सहकारिता विभाग की सहमति प्राप्त हैं।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

Desktop/CS/Sec 10/Draft

ज्ञापांक –प्र010/विविध–05/2020 4808 खाद्य, पटना/दिनांक– 18.12.2020
प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक –प्र010/विविध–05/2020 4808 खाद्य, पटना/दिनांक 18.12.2020
प्रतिलिपि– सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक –प्र010/विविध–05/2020 4808 खाद्य, पटना/दिनांक 18.12.2020
प्रतिलिपि– निबंधक सहयोग समितियॉं, बिहार, पटना एवं महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक –प्र010/विविध–05/2020 4808 खाद्य, पटना/दिनांक– 18.12.2020
प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम तथा सचिव सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक –प्र010/विविध–05/2020 4808 खाद्य, पटना/दिनांक– 18.12.2020
प्रतिलिपि– सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक –प्र010/विविध–05/2020 4808 खाद्य, पटना/दिनांक– 18.12.2020
प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी एवं विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक –प्र010/विविध–05/2020 4808 खाद्य, पटना/दिनांक– 18.12.2020
प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव/सचिव कोषांग एवं आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक –प्र010/विविध–05/2020 4808 खाद्य, पटना/दिनांक– 18.12.2020
प्रतिलिपि– माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।